न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 52/2014

1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नि स्व० श्री माना उर्फ मानमल उम्र 47 साल जाति नाई निवासी ग्राम कुचील, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०) हाल निवासी चन्द्रा कोलोनी, रेल्वे लाईन के पास, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०)
2. चन्द्र प्रकाश पुत्र स्व० श्री माना उर्फ मानमल नाबालिग जाति नाई जरिये सरक्षक माता श्रीमती शान्ति देवी पत्नि स्व० श्री माना निवासी ग्राम कुचील, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०) हाल निवासी चन्द्रा कोलोनी, रेल्वे लाईन के पास, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०)
3. वन्दना पुत्री स्व० श्री माना उर्फ मानमल पत्नि श्री जोधराज उम्र 28 वर्ष जाति नाई निवासी ग्राम कुचील, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०) हाल निवासी गुगरबार, वाया कुकर बाली, तहसील कुचामन जिला नागौर (राज०)
4. रेणु पुत्री स्व० श्री माना उर्फ मानमल पत्नि श्री सुरेश उम्र 25 वर्ष जाति नाई निवासी ग्राम कुचील, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०) हाल निवासी गुगरबार, वाया कुकर बाली, तहसील कुचामन जिला नागौर (राज०)
5. ओम प्रकाश पुत्र स्व० श्री माना उर्फ मानमल उम्र 30 वर्ष जाति नाई निवासी ग्राम कुचील, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०) हाल निवासी चन्द्रा कोलोनी, रेल्वे लाईन के पास, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०)

प्रार्थी संख्या 5 स्वयं एवं प्रार्थी संख्या 1, 2, 3 व 4 जरिये पॉवर ऑफ अटौर्नी हौल्डर प्रार्थी संख्या 5 ओम प्रकाश पुत्र स्व० श्री माना उर्फ मानमल उम्र 30 वर्ष जाति नाई निवासी ग्राम कुचील, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०) हाल निवासी चन्द्रा कोलोनी, रेल्वे लाईन के पास, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. दिनेश पुत्र स्व० श्री काना
2. नरेन्द्र पुत्र स्व० श्री काना
3. हेमराज पुत्र स्व० श्री काना सर्वजाति नाई सर्वनिवासीगण ग्राम कुचील, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०)
4. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०)
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशगनढ़ जिला अजमेर (राज०)
6. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा कुचील, तहसील किशनगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री परमानन्द शर्मा
वकील अप्रार्थी श्री इन्द्रेश कुमार

दिनांक 17.12.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री परमानन्द शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम वास्ते खातेदारी अधिकारो की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती तावत पेश किया गया हैं जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना हैं परन्तु वाद पत्र के निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है इसलिये वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

प्रार्थीगण के पति/पिता श्री माना उर्फ मानमल व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता श्री काना दोनों भाई होकर श्री सुवा पुत्र श्री चन्दा के पुत्रगण थे। प्रार्थीगण के पति/पिता श्री माना उर्फ मानमल की मृत्यु वर्ष 2005 में तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता श्री काना की मृत्यु वर्ष 2006 में हो जाने के बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 3, श्रीमती सीता देवी पत्नि स्व० श्री काना को ग्राम चीताखेड़ा, पटवार हल्का खातोली, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०) में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 55 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 3, श्रीमती सीता देवी पत्नि स्व० श्री काना को 1/2, 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त विरासत में प्राप्त हुआ था। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण के पति/पिता स्व० श्री माना उर्फ मानमल व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता स्व० श्री काना के पूर्व उक्त भूमि पर स्व० श्री माना उर्फ मानमल व स्व० श्री काना के पिता श्री सुवा पुत्र श्री चन्दा का कब्जा काश्त था। श्री सुवा पुत्र श्री चन्दा की मृत्यु होने पर उक्त भूमि पर स्व० श्री माना उर्फ मानमल व स्व० श्री काना को उक्त भूमि विरासत में पिता स्व० श्री सुवा पुत्र श्री चन्दा से प्राप्त हुई थी। प्रार्थीगण को अपने हिस्से की उक्त भूमि पर सुधार करने हेतु रूपयों की आवश्यकता पड़ने पर प्रार्थी संख्या 5 के द्वारा जनवरी 2014 में राजस्व रिकोर्ड की जानकारी लेने पर प्रार्थी संख्या 5 को ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि के आधे हिस्से पर ना तो प्रार्थीगण का नाम दर्ज हैं। ना ही प्रार्थीगण के पति/पिता स्व० श्री माना उर्फ मानमल का नाम दर्ज था बल्कि खसरा संख्या 55 के सम्पूर्ण रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3, श्रीमती सीता देवी पत्नि स्व० श्री काना के नाम दर्ज हैं उक्त से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता स्व० श्री काना के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो रखा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रकार से स्वयं का अथवा पत्ति/पिता के नाम से उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर नाम दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज होने की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थीगण के द्वारा राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि का नियमन अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता स्व० श्री काना पुत्र स्व० श्री सुवा के द्वारा करवाने से उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड के सम्पूर्ण रकबा पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3, श्रीमती सीता देवी के पिता/पति स्व० श्री काना पुत्र स्व० श्री सुवा के नाम से राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज हुआ हैं। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता स्व० श्री काना पुत्र स्व० श्री सुवा के नाम से नियमन की जानकारी होने तथा उक्त के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज होने की जानकारी प्रांप्त होने पर प्रार्थी संख्या 5 के द्वारा नियमन की पत्रावली लेने हेतु उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ़ के यहाँ दिनांक 28.02.2014 को आवेदन पेश किया गया जहाँ से दिनांक 04.03.2014 को नियमन के दस्तावेज प्राप्त होने से ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता स्व० श्री काना पुत्र स्व० श्री सुवा के द्वारा फर्जी तरीके से राजस्व अधिकारी से मिलकर प्रार्थीगण के श्वसुर/ दादा श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा के द्वारा उक्त भूमि को कब्जे के आधार पर नियमन करवाने हेतु प्रस्तुत पत्रावली में काट छाट कर प्रार्थीगण के श्वसुर,/ दादा श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा के नाम को काट कर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता श्री काना पुत्र श्री सुवा के द्वारा अपना नाम का अंकन कर उक्त भूमि को फर्जी तरीके से दिनांक 18.05.1984 को नियमन करवाया गया है। दिनांक 18.05.1984 को उक्त भूमि पर श्री काना पुत्र श्री सुवा का कब्जा ना होकर प्रार्थीगण के श्वसुर/दादा व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के दादा श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा का कब्जा काश्त था। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता श्री काना पुत्र श्री सुवा को उक्त भूमि को नियमन करवाने का कोई विधिक अधिकार नही था बल्कि उक्त भूमि पर नियमन के समय श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा का ही कब्जा काश्त था तथा उक्त से पूर्व भी श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा का ही कब्जा काश्त था। श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा का उक्त भूमि पर सम्वत् 2020 से सतत कब्जा काश्त चला आ रहा था जिसके तहत सम्वत् 2027 में उक्त भूमि प्रार्थीगण के श्वसुर /दादा व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के दादा श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी। उक्त के बाद भू संशोधन में प्रार्थीगण के श्वसुर /दादा व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के दादा श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा को खातेदारी प्राप्त हो गई थी। सम्वत् 2027 में उक्त भूमि प्रार्थीगण के श्वसुर / दादा व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के दादा श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा के नाम से गैर खातेदारी में उक्त भूमि दर्ज होने का अंकन राजस्व रिकोर्ड में हो रखा था। सम्वत् 2032 में उक्त भूमि प्रार्थीगण के श्वसुर / दादा व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के दादा श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा के नाम से खातेदारी मिलने बाबत राजस्व रिकोर्ड में अंकन हो रखा हैं। परन्तु भू संशोधन की मान्यता नही मिलने के कारण उक्त भूमि को श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा की खातेदारी से हटाकर बिलानाम दर्ज कर दी गई थी। परन्तु कब्जा काश्त श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा का ही था इस कारण श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा के द्वारा ही उक्त भूमि को नियमन करवाने की पत्रावली राजस्व अधिकारी के यहाँ पेश की गई थी परन्तु फर्जी तरीके से श्री काना के द्वारा राजस्व अधिकारी से मिलीभगत करके अपने पिता का नाम काट कर स्वंय के नाम का अंकन कर उक्त भूमि का नियमन स्वंय

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

नाम करवा लिया गया हैं जबकि श्री काना को अपने स्वंय के नाम से उक्त नियमन करवाने का किसी तरह का कोई विधिक अधिकार नहीं था। ना ही फर्जी तरीके से करवाये गये नियमन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता श्री काना पुत्र श्री सुवा का उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त था। ना ही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त हैं। ना ही फर्जी तरीके से करवाये गये नियमन के आधार पर सम्पूर्ण रकबा पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता श्री काना को किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त हुआ था। ना ही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त हुआ हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता श्री काना के द्वारा करवाया गया उक्त नियमन फर्जी है जो प्रारम्भ से ही शून्य हैं। शून्य नियमन को निरस्त करवाने की विधिक प्रावधानों के तहत किसी तरह की कोई आवश्यकता नही हैं। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण के पति/पिता श्री माना उर्फ मानमल पुत्र श्री सुवा का, श्री सुवा पुत्र चन्द्रा की मृत्यु के बाद कब्जा काश्त विरासत में प्राप्त हुआ था। प्रार्थीगण के पति / पिता श्री माना उर्फ मानमल की मृत्यु होने के बाद प्रार्थीगण का उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त विरासत में प्राप्त हुआ हैं। भू संशोधन में प्राप्त खातेदारी अधिकार को मान्यता नहीं देने के कारण उक्त भूमि को बिलानाम दर्ज करने के पश्चात उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के श्वसुर /दादा श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा का कब्जा काश्त होने के कारण प्रार्थीगण के श्वसुर / दादा श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा के द्वारा उक्त भूमि को नियमन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार, किशनगढ़ के द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट व मौके की रिपोर्ट मांगी गई थी जिसके तहत पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट व मौके की रिपोर्ट पेश की गई थी। उक्त रिपोर्ट व मौके की रिपोर्ट में प्रार्थीगण के श्वसुर /दादा श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा का कब्जा काश्त सिद्ध था। कार्यालय तहसीलदार, किशनगढ़ के द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट व मौके की रिपोर्ट मांगी जाने पर एवं पटवारी के द्वारा रिपोर्ट व मौके की रिपोर्ट पेश करने के बाद कार्यालय तहसीलदार, किशनगढ़ के द्वारा मांगी गई हल्का पटवारी से रिपोर्ट व मौके की रिपोर्ट में तथा पटवारी हल्का के द्वारा पेश रिपोर्ट व मौके की रिपोर्ट में प्रार्थीगण के श्वसुर /दादा श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा का नाम काट कर बिना किसी आधार के अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता श्री काना पुत्र श्री सुवा के नाम का अंकन मिलामक्ति करके उक्त रिपोर्ट को दिनांक 18.05,1984 को खातोली केम्प में पेश कर उक्त भूमि का श्री काना पुत्र श्री सुवा के नाम से नियमन करवा लिया गया हैं। उक्त के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में श्री काना पुत्र श्री सुवा के नाम से अंकन करवा गया है। मिलामक्ति करके फर्जी तरीके से श्री काना पुत्र श्री सुवा के द्वारा श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा के नाम को काट कर कार्यालय तहसीलदार किशनगढ़ के द्वारा मांगी गई रिपोर्ट में व मौका रिपोर्ट में अंकन किया गया हैं। फर्जी तरीके से श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा के स्थान पर श्री काना पुत्र श्री सुवा के नाम का अंकन किया गया हैं। उक्त कंटिंग पर किसी भी अधिकारी के कोई लघु हस्ताक्षर अथवा पूर्ण हस्ताक्षर नही हैं। उक्त के बावजूद भी फर्जी तरीके से किये गये अंकन के आधार श्री काना पुत्र श्री सुवा को राजस्व अधिकारी के द्वारा उक्त भूमि को श्री काना पुत्र श्री सुवा के नाम से नियमन किया गया हैं। उक्त प्रकार से फर्जी नियमन के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज करवाने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 से 3, श्रीमती सीता देवी के द्वारा आपस में मिलकर फर्जी तरीके से हकत्याग बाबत दस्तावेज निष्पादित करवाये गये हैं। उक्त दस्तावेज प्रार्थीगण के हक हिस्सा अधिकार तक प्रारम्भ से ही शून्य हैं जिसको निरस्त करवाने की कोई आवश्यकता नही हैं। उक्त के बाद फर्जी तरीके से प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से अप्रार्थी संख्या 6 से ऋण राशि प्राप्त कर उक्त भूमि को भारग्रस्त किया गया हैं। प्रार्थीगण को फर्जी तरीके से सम्पूर्ण भूमि के रकबा पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता श्री काना व उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 से 3, श्रीमती सीता देवी का अंकन होने की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थी संख्या 5 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 से सम्पर्क कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त करवाते हुये प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण का नाम सम्पूर्ण दस्तावेजों को बताते हुये दर्ज करवाने का निवेदन करने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रार्थीगण को आश्वासन दिया जाता रहा कि उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर तुम्हारा नाम का अंकन करवा दिया जायेगा। प्रार्थीगण के द्वारा बार बार कहने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रार्थीगण का उक्त भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि पर अंकन नही करवाने पर प्रार्थी संख्या 5 के द्वारा पुनः अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को दिनांक 21.04.2014 को प्रार्थीगण का उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर नाम दर्ज करवाने का निवेदन करने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा इन्कार कर दिया गया तथा प्रार्थी संख्या 5 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा कहा गया कि हम उक्त भूमि के सम्पूर्ण रकबा को विक्रय करके रहेगें तथा खरीदने वाला तुमसे जबरन कब्जा ले लेगा। प्रार्थी संख्या 5 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को कहा गया कि तुम्हारें को सम्पूर्ण रकबा की भूमि को विक्रय करने का अधिकार नही हैं। ना ही

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

बरन कब्जा करवाने का अधिकार हैं इस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रार्थी संख्या 5 को धमकी दी गई की हम विक्रय करके रहेगे तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि पर हक हिस्सा अधिकार हैं तथा 1/2 हिस्सा की भूमि पर कब्जा काश्त हैं उक्त कब्जा काश्त प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुआ हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को उक्त से वंचित करने का हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु आमादा है तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करवाने हेतु आमादा हैं जिसको करने का अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को नहीं हैं।प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं इस हेतु राजस्व रिकोर्ड को दुरस्त करवाते हुये उक्त भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि पर खातेदारी अधिकारों को प्राप्त करने के अधिकारी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वह उक्त भूमि के सम्पूर्ण रकबा की भूमि को किसी भी व्यक्ति को बैचान इत्यादि से अन्तरण, हस्तान्तरण नही करे तथा किसी तरह का कोई दस्तावेज उक्त भूमि के बाबत निष्पादित नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा उक्त भूमि के बाबत किसी भी तरह का कोई दस्तावेज पेश किये जाते हैं तो अप्रार्थी संख्या 4 उक्त भूमि के बाबत पेश दस्तावेज का पंजीयन नही करे तथा अप्रार्थी संख्या 5 का पाबन्द किया जावे कि उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड में किसी तरह का कोई परिवर्तन, परिवर्धन नही करें एवं राजस्व रिकोर्ड तथा मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हैं क्योंकि उक्त भूमि प्रार्थीगण के श्वसुर/दादा स्व० श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा के नाम की थी तथा स्व० श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा को ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त था उक्त का अंकन राजस्व रिकोर्ड में हो रखा हैं। श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा की मृत्यु के बाद 1/2 हिस्सा की भूमि प्रार्थीगण के पति / पिता श्री माना उर्फ मानमल पुत्र श्री सुवा को विरासत में प्राप्त हुई थी। श्री माना पुत्र श्री सुवा की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई हैं। फर्जी तरीके से श्री सुवा पुत्र श्री चन्द्रा का नाम काट कर श्री काना पुत्र श्री सुवा के नाम से नियमन करवाने से एवं उक्त के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में नाम का अंकन करवाने के आधार पर ना तो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता श्री काना को उक्त भूमि के सम्पूर्ण रकबे पर विधिक अधिकार प्राप्त हुये हैं। ना ही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्राप्त हुये हैं। प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 28.02.2014 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का उक्त भूमि के सम्पूर्ण रकबा पर नाम दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई उक्त के बाद प्रार्थीगण के द्वारा राजस्व रिकोर्ड की व नियमन पत्रावली की कोपी प्राप्त करने पर उक्त में फर्जी तरीके से काटा फासी करके अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता श्री काना के द्वारा नियमन करवाने की जानकारी प्राप्त हुई उक्त के बाद प्रार्थीगण के द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को बताते हुये उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण के नाम का अंकन करवाने का निवेदन करने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा अंकन करवाने का आश्वासन दिये जाने के बाकजूद भी प्रार्थीगण के नाम का अंकन नहीं करवाने पर प्रार्थी संख्या 5 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को पुनः दिनांक 21.04. 2014 को प्रार्थीगण का नाम अंकन करवाने का निवेदन करने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा राजस्व रिकोर्ड में नाम का अंकन करवाने से इन्कार करते हुये सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने की धमकी दी तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने व करवाने की धमकी देने के कारण प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी हैं। प्रार्थी प्रार्थना करता हैं कि बहक प्रार्थीगण बखिलाफ अप्रार्थीगण के विरूद्व निम्नआशय की डिक्री पारित फरमायी जावे किः— प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम चीताखेड़ा, पटवार हल्का खातौली, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०) में स्थित खसरा संख्या 55 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि के बाबत अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को पाबन्द किया जावे कि 1/2 हिस्से की भूमि का बैचान आदि से अन्तरण, हस्तान्तरण नहीं करें तथा ना ही उक्त भूमि के बाबत किसी तरह का कोई दस्तावेज पेश कर उक्त दस्तावेज का पंजीयन करवाये,अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि से प्रार्थीगण को उसके हक, हिस्से, अधिकार की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें। ना ही किसी अन्य से बेदखल करवाये तथा प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त में किसी तरह की कोई बाधा कारित नहीं करें इस हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को स्वयं व उनके परिवारगण नोकर, चाकर एवं एजेन्ट आदि को पाबन्द किया जावें। अप्रार्थी संख्या 04 को पाबन्द किया जावे कि उक्त भूमि के बाबत किसी तरह का कोई दस्तावेज पेश होता हैं तो उक्त का पंजीयन नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 05 को पाबन्द किया जावे कि राजस्व रिकोर्ड में किसी तरह का कोई परिवर्तन, परिवर्धन नही करें एवं राजस्व रिकोर्ड की व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

र्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.05.2014 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से वकील श्री इन्द्रेश कुमार उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से वकील श्री इन्द्रेश कुमार ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त वाद अधीन भूमि खसरा संख्या 55 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम सिवायचक बिलनाम भूमि की जिसका नियमन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत सरचित नियमों के तहत प्रतिवादी उत्तरकर्ता के पूर्वाधिकारी काना पुत्र सुवा को नियमन किया गया था, एवं उक्त नियमन आदेश के अनुक्रम में ही प्रतिवादी उत्तरकर्ता के पूर्वाधिकारी को उपरोक्त भूमि का आधिपत्य संभलाते हुए गैर खातेदारी अधिकारी प्रदत्त किये गये थे जिसका नामान्तरण संख्या 131 दिनांक 25.06.1984 को दर्ज किया गयां। अतः इस परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि के बाबत् हकदारी हेतु जो वाद संस्थित किया है वह अवधारणीय नहीं है। उपरोक्त भूमि पर अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता काना पुत्र सुवा ही नियमन पश्चात् से काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता के काना पुत्र सुवा के देहावसान पश्चात् उपरोक्त भूमि पर विरासत का नामान्तरण अप्रार्थी उत्तरकर्ता एवं अप्रार्थी उत्तरकर्ता की माता श्रीमती सीता देवी के नाम दर्ज किया गया तथा अप्राथर्थी उत्तरकर्ता की माता श्रीमती सीता देवी द्वारा उपरोक्त भूमि का हकत्याग विलेख अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया था। जिसके आधार पर नामान्तरण सख्या 781 दिनाक 16.07.2010 को अप्रार्थी उत्तरकर्ता के नाम दर्ज किया गया उक्त पश्चात् अप्रार्थी उत्तरकर्ता ने प्रस्तुत वाद संस्थन के पूर्व ही उपरोक्त भूमि को बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कुचील में बन्धक रखकर ऋण प्राप्त किया है जिसका नामान्तरण भी राजस्व रिकार्ड में वाद संस्थन पूर्व दर्ज किया जा चुका है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में भी वादी का वाद निरस्तनीय है। अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नियमन के पश्चात् गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये थे, अतः इस परिप्रेक्ष्य में भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अवधारणीय नहीं है तथा अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता के देहावसान पश्चात नामान्तरण संख्या 653 दिनांक 09.07.2007 को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये थे अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त भूमि बिलनाम होकर प्रतिवादी उत्तरकर्ता के पिता को नियमन होने से तथा अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता का ही अधिकार आधिपत्य होने से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने पश्चात् से उपरोक्त भूमि के बाबत् प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में गलत आधारों पर वाद संस्थित किया गया है वाद व्यय विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्तनीय है। उपरोक्त नियमन दिनांक 18.05.1984 को चुनौति किये जाने की राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विशिष्ट प्रावधान एवं विशेष समयावधि विधि द्वारा निर्धारित थी। वादीगण द्वारा उपरोक्त बाबत् न तो विशिष्ट फॉर्म क्षेत्राधिकार के न्यायालय में चुनौति दी है न ही उक्त बाबत् किसी प्रकार की कोई चाराजोही की है, अतः इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत वाद अवधारणीय नहीं है। वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में न्यस्त नहीं करता है। उपरोक्त भूमि अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता काना काबिज थे तथा उन्हें ही उपरोक्त भूमि का नियमन पश्चात् उपरोक्त भूमि पर अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता का आधिपत्य होने से उनका ही कब्जा काश्त होने के अनुकम में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये थे। प्रार्थीगण अथवा उनके पिता माना का कभी भी भौतिक आधिपत्य नहीं रहा यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि **Suit for declaration without seeking relief of possession** इस परिप्रेक्ष्य में भी विधिक सिद्धान्त के रहते हुए वादी/ प्रार्थी का वाद सारभूत अनुतोष के अभाव में अवधारणीय नहीं है एवं व्यय विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्तनीय है। उपरोक्त भूमि का नियमन अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता के नाम वाद संस्थन से लगभग 30 वर्ष अवधि पूर्व हुआ था तथा उपरोक्त नियमन समय वादीगण के पिता माना उर्फ मानमल ही जीवीत थे यदि उपरोक्त भूमि पुश्तैनी होती तो उपरोक्त माना उर्फ मानमल अपने जीवनकाल में ही अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता से वाद विवाद कर सकते थे किन्तु उपरोक्त प्रार्थीगण के पिता ने कभी भी उक्त बाबत् किसी प्रकार को वाद विवाद नहीं किया क्योंकि उन्हें भलीभांति संज्ञान था कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी श्रेणी की नहीं होकर अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता काना की स्वअर्जित श्रेणी की है। इसी अनुक्रम में यहां पर यह अभिवाक् किया जाना भी असुसंगत नहीं होगा कि उपरोक्त वादीगण के पूर्वाधिकारी माना उर्फ मानमल का देहावसान भी उपरोक्त भूमि के आवंटन पश्चात् हुआ था। यदि उपरोक्त भूमि पुश्तैनी श्रेणी की होती तो प्रार्थीगण निश्चित रूप से ततसमय ही माना उर्फ मानमल के देहावसान से विरासत के आधार नामान्तरण दर्ज करवाने की कार्यवाही करते, इस परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण ने वाद में जो अस्वभाविक रूप से संज्ञान वर्ष 2014 का बताया है वह साधारण परिप्रेक्ष्य में स्वीकार योग्य नहीं है. अन्यथा भी यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि **Latin maxim vigilantibus non dormentibus jure subveniunt Mean law assist those who are vigiland and not those who are indolent- Hence lapse of time is a species of forfeiture of**

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

...nt- अतः इस विधिक परिप्रेक्ष्य में भी वादीगण का वाद 30 वर्ष समय अवधि पश्चात् निरस्तनीय है। ...ीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत भी संस्थित किया है। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान वाद पर चस्पा नहीं होते है क्योंकि वादी के अभिवचनों से ही स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि बिलनाम थी जिसका नियमन प्रथम बार अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता काना पुत्र सुवा को हुआ था एवं उक्त बाबत् नामान्तरण संख्या 131 दिनाक 25.06.1984 को दर्ज किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में जब प्रथम आधार परिविष्टि ही बिलनाम के पश्चात् अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता काना पुत्र सुवा के नाम खातेदारी में दर्ज की गई तो इस आधार पर Correction of revenue record का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है न ही धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होते है, अतः परिप्रेक्ष्य में भी वादीगण का वाद अवधारणीय नहीं है तो प्रार्थना पत्र भी स्वतः निरस्तनीय है। यही कारण है वादीगण ने ऐसे विरासत के नामान्तरण नम्बर, दिनांक व आदेश का उल्लेख नहीं किया है, इसके विपरित अप्रार्थी उत्तरकर्ता द्वारा उपरोक्त भूमि बिलनाम होकर नामान्तरण संख्या 131 दिनांक 25.06.1984 को अप्रार्थी उत्तरकर्ता को अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता काना के नाम नियमन होकर उक्त आदेश के कम में उपरोक्त भूमि अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता काना की स्वअर्जित होने के बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है. इस परिप्रेक्ष्य में इस पैरा के कथन प्रार्थीगण के वर्णितानुसार स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 के कथन प्रार्थीगण के वर्णितानुसार स्वीकार नहीं है कि प्रार्थीगण को इस पहलू का संज्ञान नहीं हो कि खसरा संख्या 55 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा अप्रार्थी उत्तरकर्ता के खातेदारी में अंकन होने की उन्हें प्रथम बार जानकारी 05 जनवरी, 2014 को हुई हो, यह भी अस्वीकार है कि उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीगण का हक हिस्सा अधिकार हो, यह भी अस्वीकार है कि उपरोक्त भूमि पर कभी प्रार्थीगण अथवा उनके पिता का कब्जा रहा हो, यह भी अस्वीकार है कि अप्रार्थी उत्तरकर्ता के नाम गलत रूप से खातेदारी में दर्ज की गई हो, प्रारम्भिक आपत्तियों में इस बाबत् अप्रार्थी उत्तरकर्ता ने अपने हक हिस्से को लेकर स्पष्ट पूर्ण अभिवाक् किया है जिसके पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। प्रारम्भिक आपत्ति के कथन भी इस पैरा के जवाब में पढे एवं समझे जायें। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 5 के कथन प्रार्थीगण के वर्णितानुसार स्वीकार नहीं है कि अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता ने किसी प्रकार राजस्व रिकार्ड या नियमन के दस्तावेजात् में काटांफिसी की हो, जहां तक उपरोक्त नियमन आदेश दिनांक 18.05.1984 का प्रश्न है उसका राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण संख्या 131 दिनांक 25.06.1984 को तुरन्त अमल दरामद हो गया था, उक्त आदेश की पालना तुरन्त किये जाने से प्रार्थीगण द्वारा जो मनमाफिक रूप से फर्जीवाडे काटछांट का अंकन किया है वह प्रार्थीगण के वर्णितानुसार स्वीकार नहीं है अप्रार्थीगण के पिता उपरोक्त भूमि पर एकाकी रूप से काबिज थे, तथा अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता को ही उपरोक्त भूमि नियमन की गई थी, जहां तक प्रार्थीगण ने इस पैरा में सुवा पुत्र चन्द्रा के नाम से नियमन हेतु अंकन किया है वह स्वीकार नहीं है, क्योंकि सुवा पुत्र चन्द्रा के नाम तत्समय पर्याप्त अन्य खातेदारी की कृषि भूमि थी, वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते थे, इस कारण राजस्व भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों अनुसार उनके नाम से नियमन संभव ही नहीं था। अन्यथा भी यदि उक्त प्रकार का सुवा पुत्र चन्द्रा द्वारा आवेदन किया जाता तो सुवा पुत्र चन्द्रा द्वारा अपने जीवनकाल में ही चाराजोही करते या प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी माना पुत्र सुवा द्वारा विवाद किया जाता, इस परिप्रेक्ष्य में इस पैरा के कथन प्रार्थीगण के वर्णितानुसार स्वीकार नहीं है, अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पूर्वाधिकारी काना पुत्र सुवा वर्ष 1984 के पहले से अपने पिता से अलग हो गये थे तथा वह विवाहित थे एवं उनकी संताने भी उत्पन्न हो चुकी थी, इस परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त भूमि का नियमन अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता को व्यक्तिगत रूप से हुआ है. जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 6 के कथन प्रार्थीगण के वर्णितानुसार स्वीकार नहीं है उपरोक्त भूमि का अप्रार्थी उत्तरकर्ता के नाम नियमन किये जाने का अधिकार न हो। यह भी गलत है कि उपरोक्त भूमि पर दिनांक 25.06.1984 को सुवा पुत्र चन्द्रा का कब्जा हो, यह भी गलत हो कि अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता ने राजस्व अधिकारीयों से मिलीभगत कर दस्तावेज में कांटफांस कर स्वयं के नाम नियमन करवाया हो, यह भी गलत है कि उपरोक्त भूमि के बाबत् अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता को नियमन करवाये जाने का अधिकार न हो, यह भी गलत है कि उपरोक्त नियमन शून्य हो, प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र में स्पष्टतया अंकित है उपरोक्त बिलनाम थी एवं भू–संशोधन के रिकार्ड को कोई मान्यता नहीं मिली थी। अप्रार्थी उत्तरकर्ता दिनांक 25.06. 1984 के पूर्व ही परिवार से विभक्त हो गया था। अप्रार्थी उत्तरकर्ता को स्वयं के व्यक्तिगत हैसियत से ही उपरोक्त भूमि का नियमन किया गया था, उक्त नियमन आदेश की अनुपालना में आज से 30 वर्ष अवधि पूर्व ही नामान्तरण संख्या 131 दिनांक 25.06.1984 को राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई, तथा अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता को ही खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये थे, अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता की उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

स्वअर्जित श्रेणी की है, प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 7 के कथन गलत है एवं अस्वीकार है अन्यथा भी दिनांक 18.05.1984 के आदेश के अनुकम में इस पैरा के कथन स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 8 के कथन गलत एवं अस्वीकार है अन्यथा भी दिनांक 18.05.1984 का नियमन आदेश प्रार्थीगण के वर्णितानुसार ग्राम खातोली के केम्प में मजमे आम की श्रेणी का है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के अभिवचन से ही अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता की मिलाभगती या कांटछांट करने के कोई तथ्य नहीं रहते है। उपरोक्त भूमि के बाबत् सुवा पुत्र चन्द्रा भूमिहीन श्रेणी का नहीं होने से तथा उसके पास अन्य पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने से मजमे आम में उपरोक्त भूमि का नियमन अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता के नाम ही किया गया था तथा उक्त आदेश की जानकारी सुवा एवं काना को भलीभांति से रही है, इस परिप्रेक्ष्य में इस पैरा के कथन स्वीकार नहीं है कि अप्राथी उत्तरकर्ता के पिता के नाम फर्जी तरीके से नियमन किया गया हो। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 9 के कथन प्रार्थी के वर्णितानुसार स्वीकार नहीं है प्रार्थीगण का माननीय न्यायालय में अवधारणीय नहीं है, नामान्तरण संख्या 131 दिनांक 25.06.1984 स्पष्ट है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि है तथा उक्त नामान्तरण के आधार भी अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पूर्वाधिकारी को अधिकार सर्जित हुये थे तथा प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में वास्तविक तथ्यों को छिपाकर गलत आधारों पर वाद संस्थित किया है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 10 के कथन गलत है एवं अस्वीकार है अप्रार्थी उत्तरकर्ता का कभी भी प्रार्थीगण से वार्ता नहीं हुई. वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थी संख्या 5 के मन में स्वयं की पुश्तैनी विरासत की भूमि अन्तरण करने के पश्चात् मन में दुर्भावना आने से यह वाद संस्थित किया है, यहां पर यह अभिकथन किया जाना भी सुसंगत रहेगा कि जब उपरोक्त ओमप्रकाश एवं अन्य प्रार्थीगण द्वारा माना पुत्र सुवा की अन्य भूमि बाबत् विरासत का नामान्तरण दर्ज करवाया गया, ततसमय ही वह उपरोक्त भूमि के बाबत् चाराजोही कर सकते थे, किन्तु ततसमय प्रार्थीगण को यह भलीभांति संज्ञान था कि उपरोक्त भूमि अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता काना की स्वअर्जित है, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा पुश्तैनी भूमि विक्रय करने के पश्चात् उक्त से प्राप्त राशि स्वयं की अवांछनीय आवश्यकताओं में खत्म करने से तथा अप्रार्थी उत्तरकर्ता को हैरान परेशान कर अप्रार्थी उत्तरकर्ता की निजी अर्जित भूमि के बाबत् इस अव्यवहारिक वाद के मार्फत अप्रार्थी उत्तरकर्ता पर अनुचित दबाव बनाकर अनुचित राशि वसूल करने के लिये वाद संस्थित किया है। इस परिप्रेक्ष्य में इस पैरा के कथन गलत है एवं अस्वीकार है प्रार्थीगण ने मिथ्या आधारों पर वाद संस्थित किया है प्रार्थीगण का न तो कभी उपरोक्त भूमि पर कब्जा था बल्कि इस प्रार्थना पत्र के अभिवचन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 11 के कथन गलत है एवं अस्वीकार है कि उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण को विरासत से प्राप्त हुई हो तथा प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि पर काबिज हो, यह भी गलत है कि अप्रार्थी उत्तरकर्ता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज किया गया हो तथा यह भी गलत है कि अप्रार्थी उत्तरकर्ता को अपने अधिकार खातेदारी की भूमि का उपयोग किये जाने का अधिकार नहीं है, यह भी गलत है कि अप्रार्थी उत्तरकर्ता के विरूद्ध प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 12 के कथन गलत है एवं अस्वीकार है प्रार्थीगण अप्रार्थी उत्तरकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी नहीं है, अप्रार्थी उत्तरकर्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहित अन्य विधियों के अन्तर्गत जो भी उन्हें साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त है उक्त समस्त अधिकारों के बाबत् अधिकार धारणता वैद्य प्रभावी रूप से रखते है जिन्हें संकुचित किया जाना विधि अनुसार अनुज्ञात नहीं है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 13 के कथन गलत है एवं अस्वीकार है प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र व्यय विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 14 के कथन गलत है एवं अस्वीकार है कि उपरोक्त भूमि का नियमन बिलनाम होने के कारण अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता के नाम किया गया है, उपरोक्त भूमि अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता की स्वअर्जित भूमि है उक्त आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी उत्तरकर्ता के विरूद्ध निरस्तनीय है, पैरा संख्या 14 के कथन गलत एवं अस्वीकार है प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पक्ष में है, तथा खातेदार काबिज काश्तकार के विरूद्ध उसके खातेदारी अधिकारों को संकुचित किये जाने वाले अस्थाई निषेधाज्ञा की प्राप्ति के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है यदि प्रार्थीगण के पक्ष में वर्णितानुसार अनुतोष प्रदत्त किया गया तो अप्रार्थी उत्तरकर्ता स्वंय की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेंगे एंव वाद बाहुल्यता का विस्तार होगा, प्रार्थीगण को उक्त आदेश का आड में अप्रार्थी उत्तरकर्ता पर अनुचित दबाव प्रभाव बनाकर जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे, जिससे अप्रार्थी उत्तरकर्ता के अधिकारों पर दुष्प्रभाव पडेगा। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 15 के कथन गलत है एवं अस्वीकार है प्रार्थीगण ने मिथ्या आधारों पर वाद संस्थित किया है प्रार्थी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है उक्त भूमि सरकारी सिवायचक

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

को अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता को विधिक रूप से नियमन हुई थी अतः इस परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व्यय विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्त कराया जावे।

दिनांक 04.09.2019 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 04.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 04 से 06 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

5. दिनांक 17.12.2025 को वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

6. दिनांक 10.09.2025 को वकील उभयपक्ष को सुना गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र वादग्रस्त भूमि ग्राम चीताखेडा के खसरा संख्या 55 में अपने पूर्वाधिकारी के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर दिये जाने पर तथा वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज कर दिये जाने के कारण वादग्रस्त भूमि के खुर्द बुर्द नहीं करने बाबत अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने बाबत पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा है अथवा नहीं इसका निर्णय तो वाद में तनकीवार विवेचन एवं साक्ष्य के उपरान्त होगा किन्तु हस्तगत प्रार्थना पत्र का निस्तारण धारा 212 राज.का.अधि. के अनुसार किया जाना है। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

प्रथम दृष्टया प्रकरणः— वादअधीन भूमि के पूर्व रिकार्ड आवंटन आदेश में कांट छांट की गई है जिससे वादअधीन भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवाद विद्यमान है, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः— वादअधीन भूमि पर सुवा पुत्र चन्द्रा के नाम का अंकन पूर्ववर्ती साबिक खसरा गिरदावरियों में अंकित है, जिससे तत्कालीन समय में उनका वादअधीन भूमि को काश्त किया जाना प्रतीत होता है, अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षतिः— प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पूर्ववर्ती रिकार्ड के अनुसार अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को कारित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगणों को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 55 ग्राम चीताखेडा 1/2 हिस्से में मौके पर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान तनकीवार, साक्ष्य एवं बयानात् से तय किये जायेंगें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)
किशनगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
राजस्व वाद पत्र संख्या 52 / 2015 उनवान शान्ति बनाम [illegible]	
7/12/15 पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] उप. वकील [illegible] की ओर से [illegible] द्वारा 24A पर [illegible] पेश की गई [illegible] पर मनन किया गया। [illegible] स्वीकार किया गया विरुद्ध [illegible] तैयार कर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] हो।	
उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	